## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या-528/2015/जोधपुर

मैसर्स एस. एल. कन्ज्यूमर प्रोडक्ट्स लि0 के. न. 361/2, बी.पी. पेट्रोल पम्प के पास, गांव—कांकाणी, जोधपुर मार्फत श्री पी.एम. चोपड़ा एडवोकेट, 57—58, मानजी का हत्था, पावटा, जोधपुर

...अपीलार्थी

बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त—बी, जोधपुर

...प्रत्यर्थी

खण्डपीठ श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित ::

श्री पी.एम. चौपड़ा अभिभाषक श्री जमील जई उप राजकीय अभिभाषक

...अपीलार्थी की ओर से

...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : १४-०१-2017

## निर्णय

- 1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी—द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 21/आरवेट/जेयूबी/14—15 में राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम 2003" कहा जायेगा) की धारा 82 के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 27.02.2015 के विरूद्ध अधिनियम 2003 की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त—द, जोधपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा वर्ष 2011—12 हेतु अधिनियम 2003 की धारा 24, 55, 18 18(2), 18(3)(v) सपित नियम 48 में पारित आदेश दिनांक 27.03.2014 जिसमें आई.टी.सी. रूपये 52,47,557/— को अस्वीकार करते हुए ब्याज रूपये 10,74,526/— आरोपित किया है, को यथावत रखते हुए व्यवहारी की अपील अस्वीकार की है, जिससे व्यथित होकर यह अपील कर बोर्ड के समक्ष अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत की गई है।
- 2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी फर्म ने मैसर्स बाबा नागा ट्रेडर्स, भिवाड़ी टिन नंबर 08720855260 से सरसों की खरीद कर, खरीद बिलों में वसूल कर राशि का आगत कर क्लेम किया गया। सहायक आयुक्त, वृत्त—अ, भिवाड़ी द्वारा मैसर्स बाबा नागा ट्रेडर्स की जांच दिनांक 04.03.2014 पर पाया गया कि उक्त फर्म का

Mr.

्घोषित व्यवसाय स्थल पर व्यवसाय नहीं होना पाया गया तथा किसी भी प्रकार का व्यवसाय उस स्थान से किया जाना संदेहास्पद है। उक्त फर्म द्वारा वर्ष 11-12 के लिए प्रस्तुत वार्षिक विवरण पत्र वैट-10ए में अन्तर्राज्यीय करमुक्त बिक्री करना दर्शाया गया है तथा राज्य के भीतर कोई बिक्री नहीं दर्शायी गयी है। इसी प्रकार मैसर्स जम्बो एग्रो ऑयल्स, बांसनी मण्डी, जोधपुर टिन नंबर 08122658044 से वर्ष 11-12 में द्वितीय एवं चतुर्थ तिमाही में रूपये 5,39,50,030 / - का माल खरीदना दर्शाकर आई.टी.सी. रूपये 26,97,501 / – का क्लेम किया। सहायक आयुक्त, वृत्त सी द्वारा दिनांक 08.03.2014 को जांच करवाये जाने पर फर्म मौके पर नहीं पायी गयी तथा इस फर्म द्वारा खरीद मैसर्स बाबा नागा ट्रेडर्स, भिवाड़ी से किया जाना वैट-07ए में दर्शाया गया जबकि उक्त फर्म द्वारा वर्ष 11-12 की अवधि में राज्य के भीतर किसी व्यवसायी को बिक्री नहीं करना प्रस्तुतं विवरण पत्रों से पाया गया। इस प्रकार बोगस खरीद दर्शांकर मैसर्स जम्बो एग्रो ऑयल्स से बिक्री कियां जांना दर्शाया है अर्थात संव्यवहार बोगस है, मात्र बिलों की व्यवस्थान कर आई.टी.सी. क्लेम की है। इसी प्रकार मैसर्स रामा ट्रेडिंग कंपनी, जोधपूर टिन 08482556966 से वर्ष 11-12 में रूपये 35,97,711 /- का माल खरीदना दर्शाकर आई.टी.सी. रूपये 1,79,885 / – का क्लेम दर्शाया है जबकि इस फर्म द्वारा खरीद तिरूपति ट्रेडर्स, जोधपुर टिन 08702613105 से माल खरीदना बताया है जबकि उक्त फर्म वृत्त-बी, जोधपुर की बोगस फर्म है जिसके द्वारा कोई माल विक्रय करना जाहिर नहीं है तथा न ही कोई वैट राशि जमा होना पाया गयी। इसी प्रकार मैसर्स हरनारायण ओमप्रकाश, जोधपुर टिन 🎎 572600324 से रूपये 1,39,33,222 / - का माल खरीदना बताकर आई.टी.सी. रूपये 6,96,661 / - क्लेम दर्शाया है। इस फर्म द्वारा भी बोगस फर्म मैसर्स तिरूपति ट्रेडर्स से माल खरीदना बताया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त फर्मी से खरीद पर क्लेम आई.टी.सी. को रिवर्स कर ब्याज का आरोपण किया गया, अधीनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष व्यवहारी द्वारा अपील प्रस्तुत की गयी जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.02.2015 द्वारा खारिज की गई।

- 3. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।
- 4. अपीलार्थी के अधिकृत प्रतिनिधि श्री पी.एम. चोपड़ा ने लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आई.टी.सी. को अस्वीकृत किये जाने के संबंध में समय—समय पर विरोधाभाषी सम्मन जारी कर वस्तुस्थिति से अवगत कराये जाने के निर्देश दिये जिसकी पालना में अपीलार्थी ने मूल (बीजक) खरीद बिलों की

Ih

छायाप्रतियां तथा अपीलार्थी द्वारा संबंधित करदाताओं द्वारा विभाग में प्रस्तुत किये गये वेट-08ए की प्रतियां भी प्रस्तुत की गयी। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना विस्तृत जांच किये केवल बिल बोगस होना उल्लेखित आगत कर को अस्वीकार किया गया जो न्यायोचित नहीं है। अपीलार्थी द्वारा क्लेम आई.टी.सी. के संबंध में खरीद बिल बोगस होने के संबंध में जांच की प्रति भी उपलब्ध नहीं करवायी गयी। बिना पूर्ण जांच के विक्रेता पंजीकृत व्यवसायी से खरीदे गये माल पर आई.टी.सी. रिवर्स कर मिसमैच के आधार पर बोगस अंकित कर केवल खानापूर्ति भर की है। पूर्ण जांच कर आई.टी.सी. अस्वीकृत किये जाने से पूर्व अवसर प्रदान किया जाना अपेक्षित है जिसकी पालना नहीं की गयी। अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि विभाग द्वारा आई.टी.सी. के सत्यापन की सुविधा वेबपोर्टल पर आलौच्य कर निर्धारण वर्ष 01.04.2011 से 31.03.2012 में उपलब्ध नहीं करायी जाने के कारण करदायी को इसका ज्ञान नहीं हो सका। माननीय बोम्बे हाईकोर्ट ने अपने निर्णय मैसर्स महालक्ष्मी कॉटन मिल्स विमुख स्टेट ऑफ महाराष्ट्र रिट पिटीशन संख्या 33 / 12 दिनांक 11.05.2012 के निर्णय में यह स्पष्ट हो चुका है कि अगर विभागीय स्तर पर ऐसी सुविधा उपलब्ध न होने पर आई.टी.सी. के सत्यापन के आधार पर करदायी को प्राप्त होने वाली आई.टी.सी. के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि करदाता को उसके विरूद्ध काम में लिये जाने वाले दस्तावेज भी विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये है। नियम 18(6) के तहत इनपुट टैक्स का परिलाभ बुक्स आफ एकाउन्टस और रिकार्ड के आधार पर दिये जाने का प्रावधान है जिसकी पुष्टि कर बोर्ड, अजमेर के आदेश से होती है। इन्होंने अपने समर्थन में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय स्टेट ऑफ केरला बनाम के. टी. शादुली युसूफं (एआईआर 1977 एससी 1627), 40 टीयूडी 78 आशा ऑयल ट्रेडर्स जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, 45 वीएसटी 195 घेरूलाल बालचंद बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा, 27 टीयूडी 109 सीटीओ सर्किल ए श्रीगंगानगर बनाम विजय ट्रेडर्स, 109 एसटीसी 439 स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम सुरेश ट्रेडिंग कंपनी, 82 वीएसटी 457, इनफिनिटी हॉलसेल लिमिटेड बनाम सहायक आयुक्त, 39 टीयूडी 45 सहायक आयुक्त जोधपुर बनाम आर. के. इण्डस्ट्रीज व 41 टीयूडी 269 पूजा ट्रेडिंग कंपनी बनाम राजस्थान राज्य के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

5. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि जांच में फर्म बोगस पायी गई है। अधिनियम 2003 की धारा 18(2) के अनुसार जमा किये गये कर पर ही इनपुट टैक्स



देय है तथा धारा 10 के अनुसार इसे सिद्ध करने का दायित्व व्यवसायी का है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपील खारिज की जावें।

- 6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :--
- 7. हस्तगत प्रकरण में विवाद का बिन्दु यह है कि प्रकरण में क्रेता व्यवहारी की खरीद पर क्लेम की गई, इनपुट टैक्स क्रेडिट राशि स्वीकार किया जाने योग्य है अथवा अस्वीकार किये जाने योग्य है ?
- 8. आई.टी.सी. क्लेम के संबंध में धारा 10 जो निम्न प्रकार है :-धारा 10. Burden of proof. -

The burden of proving that any sale or purchase effected by any person is not liable to tax for any reason under this Act or to prove for entitlement of input tax credit on any purchases, shall be on such person.

के विधिक प्रावधान से यह स्पष्ट है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने के लिए क्रय-विक्रय को प्रमाणित करने का दायित्व संबंधित पक्षकार का है।

9. Input Tax Credit क्लेम करने के संबंध में अधिनियम की धारा 18 (2),(3) निम्न प्रकार है :--

## 18. Input Tax Credit. -

- (1) .....
- on the basis of original VAT invoice within three months from the date of issuance of such invoice. However, claim of input tax credit of the additional tax deposited may be allowed on the basis of VAT invoice which has been issued subsequently in compliance with the decision of any competent court or authority, showing the tax at higher rate. If the first original VAT invoice is lost, input tax credit may be allowed on the basis of a duplicate copy thereof, subject to such conditions as may be prescribed. (This amended provision has been substituted in section 18(2) of the original Act vide The Rajasthan Value Added Tax (Amendment Bill 2009) Bill no. 8 of 2009 which has given retrospective effect from 01-04-06)

1/1

- (3) Notwithstanding anything contained in this Act, no input tax credit shall be allowed on the purchases –
- (i) from a registered dealer who is liable to pay tax under sub-section (2) of section 3 or who has opted to pay tax under section 5 of this Act; or
- (ii) of goods made in the course of import from outside the State; or
- (iii) where the original VAT invoice or duplicate copy thereof is not available with the claimant, or there is evidence that the same has not been issued by the selling registered dealer from whom the goods are purported to have been purchased; or
- (iv) of goods where invoice does not show the amount of tax separately; or
- (v) where the purchasing dealer fails to prove the genuineness of the purchase transaction, on being asked to do so by an officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer authorised by the Commissioner.
- 10. उपरोक्त विधिक प्रावधानों एवं तथ्यों से यह स्पष्ट है कि व्यवहारी को आई.टी.सी. क्लेम तभी स्वीकृत किया जा सकता है, जबिक इस पेटे देय कर राजकोष में जमा हो चुका हो। क्रेता व्यवहारी द्वारा टैक्स जमा का काई प्रमाण—पत्र/चालान/साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे इसके पेटे इन्पुट टैक्स दिया जाना विधिसम्मत नहीं है तथा व्यवहारी धारा 18(2) व (3) के तहत आई.टी:सी. क्लेम का अधिकारी नहीं रहता है।
- 11. इसी प्रकार Non-Obstante Clause के सम्बन्ध में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की फुल बैंच के निर्णय (2006) 148 एस.टी.सी. 356 भदौरिया ग्राम सेवा संस्थान बनाम सहायक आयुक्त, सेल्स टैक्स, इलाहाबाद व अन्य में निम्न मत प्रतिपादित किया गया है :—

"Having given our anxious considerations to the various submissions made by the learned counsel for the parties, we find that Section 7-D which provides for composition of tax liability, starts with a non-obstante clause. A plain reading of Section 7-D of the Act shows that an option has been given to a dealer who is covered by a scheme issued by the State Government from time to time to opt for payment of lump sum amount in lieu of the amount of tax. It excludes the applicability of other provisions of the Act which deals with the assessment and payment of tax. A non-obstante clause, as observed by the Apex Court in the case of State of Bihar v. Bihar M.S.K.K. Mahasangh and others, AIR 2005 SC 1605, is generally appended to a section with a view to give the enacting part

M

of the section, in case of a conflict, an overriding effect over the provision in the same or other Act mentioned in the non-obstante clause. It is equivalent to saying that in spite of the provisions or Act mentioned in the non-obstante clause, the provision following it will have its full operation or the provisions embraced in the non-obstante clause will not be an impediment for the operation of the enactment or the provision in which the non-obstante clause occurs.

12. माननीय उड़ीसा उच्च न्यायालय ने पंजीयन प्रमाण—पत्र के सन्दर्भ में न्यायिक दृष्टान्त (1965) 16 एस.टी.सी. 271 (उड़ीसा) नौरंगलाल अग्रवाल बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा में निम्न निर्णय पारित किया गया है :--

"Even as regards proprietary interest it was held as early as 1899 in Prosunno Coomar Roy v. The Secretary of State for India in Council, that any conduct of a Government servant in violation of his duty, will not operate as estoppels against Government. This principle has been followed in Secretary of State for India v. Faredoon Jijibhai Divecha 5, where it was held that the mistaken interpretation of a grant by officers of Government and the consequent mistaken acts would not operate as estoppels as against the Crown. Here, it has been found as a fact that persons who had no business at all succeeded in obtaining certificates of registration from the Sales Tax Authorities either due to the negligence or with the connivance of the Sales Tax Authorities and hence the grant of certificates of registration to them should be held to have been made by mistake. The Sales Tax Authorities had no jurisdiction to grant such certificates to fictitious persons or to persons who had no business. Hence though these persons may technically be said to be holders of registration certificates, nevertheless, in the eye of law, they cannot be held to be registered dealers because they have not been "validly" registered under the provisions of the Act and any mistake committed by the subordinate officers of the Sales Tax Department either due to negligence or due to collusion, cannot, on general principles, operate as estoppels against Government.

13. इस सम्बन्ध में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त (2013) 66 वी. ऐस.टी. 75 यू.एस.ए. एजेंसीज व अन्य बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी अत्तुर (ग्रामीण) में निम्न निष्कर्ष दिया हैं :-

em

लगातार.....7

"After extracting the quote from "Maxwell on The Interpretation of Statutes", 10th Edition at page 381 and observing that it is for the Court to ascertain the real intention of the Legislature by carefully examining the scope of Statute, in AIR 1961 SC 751 [State of U.P. and others v. Babu Ram Upadhya], the Hon'ble Supreme Court held as under:-

- "29. The relevant rules of interpretation may be briefly stated thus: When a statute uses the word 'shall', prima facie, it is mandatory, but the Court may ascertain the real intention of the legislature by carefully attending to the whole scope of the statute. For ascertaining the real intention of the Legislature the Court may consider, inter alia, the nature and the design of the statute, and the consequences which would follow from construing it the one way or the other, the impact of other provisions whereby the necessity of complying with the provisions in question is avoided, the circumstance, namely, that the statute provides for a contingency of the non-compliance with the provisions, the fact that the non-compliance with the provisions is or is not visited by some penalty, the serious or trivial consequences that flow therefrom, and, above all, whether the object of the legislation will be defeated or furthered."
- 14. इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने का अधिकार निहित अधिकार या अलोप्य अधिकार नहीं है, लेकिन अधिनियम के अधीन एक प्रदत्त लाभ है जो विशेष संभाव्यता या विशेष शर्तों के अधीन प्रदत्त किया जाता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे का अधिकार पंजीकृत व्यवहारियों को निरपेक्ष प्रदत्त व अलोप्य अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- 15. यह (इनपुट टैक्स क्रेडिट) वास्तव में एक लाभ या अनुग्रह है। इनपुट टैक्स क्रेडिट के रियायती प्रावधानों का अर्थ बहुत कठोरता से लगाया जाना चाहिये। विधि का सुस्थापित नियम है कि कोई व्यक्ति जो मुक्ति या रियायती दर का दावा करता है, के द्वारा आज्ञापक विधिक अपेक्षायें यथावत पूर्ति की जानी चाहिये। इनपुट टैक्स क्रेडिट के लाभ का प्रयोग करने की रियायती अन्ततोगत्वा उपभोक्ता पर Cascading effect of tax burden में कमी के लिये दिया गया है। मूल्य परिवर्धित कर ढांचे का उद्देश्य प्रक्रिंया का सरलीकरण करके तथा अधिक पारदर्शी व्यवस्था करते हुए राजस्व में वृद्धि करने का रहा

16. इस सन्दर्भ में विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा उद्धरित माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 65 वी.एस.टी.सी. 260 जायम एण्ड कम्पनी बनाम सहायक अगयुक्त (सी.टी.) में पैरा 20 में वेट लागू करने की अवधारणा का उल्लेख निम्न प्रकार है:—

"....The White Paper circulated by the Empowered Committee of State Finance Ministers furnished the following rationale for the introduction of VAT:

"In the existing sales tax structure, there are problems of double taxation of commodities and multiplicity of taxes, resulting in a cascading tax burden. For instance, in the exiting structure, before a commodity is produced, inputs are first taxed, and then after the commodity is produced with input-tax load, output is taxed again. This causes an unfair double taxation with cascading effects. In the VAT, a set-off is given for input tax as well as tax paid on previous purchases. In the prevailing sales tax structure, there is in several States also a multiplicity of taxes, such as turnover tax, surcharge on sales tax, additional surcharge, etc. With introduction of VAT, these other taxes will be abolished. In addition, Central sales tax is also going to be phased out. As a result, overall tax burden will be rationalised, and prices in general will also fall. Moreover, VAT will replace the existing system of inspection by a system of built-in self-assessment by the dealers and auditing. The tax structure will become simple and more transparent. That will improve tax compliance and also augment revenue growth. Thus, to repeat, with the introduction of VAT, benefits will be as follows:

- Û a set-off will be given for input tax as well as tax paid on previous purchases
- Û other taxes, such as turnover tax, surcharge, additional surcharge, etc., will be abolished.
- Û overall tax burden will be rationalised.
- Û prices will be self-assessment by dealers
- Û transparency will increase
- Û there will be higher revenue growth"



In order to examine the controversy raised in these writ petitions and to test the validity of the impugned provision, a bird's eye view of the design of the VAT Act, its concept, coverage, the compulsory requirement to be complied with and other relevant details has to be looked into."

".....Therefore, the net effect of the VAT system is to rationalise the tax burden and bring down in general the price level, stop the tax rate war, and with a view to bring in simplicity and transparency in the tax structure thereby improving the tax compliance and eventually to ensure growth the revenue. The above in broad terms is the concept of VAT."

"Input tax credit", which is in the nature of the concession or indulgence, could be availed only in the manner prescribed under Section 19. The law is well settled that the person, who claims exemption or concessional rate, must obey and fulfil the mandatory requirements exactly. Unless there is strict compliance with the provisions of the statute, the registered dealer is not entitled to claim input tax credit.

17. विचाराधीन प्रकरण में अपीलार्थी केवल मूल बिलों एवं बहियात में इन्द्राज के आधार पर आई.टी.सी. क्लेम कर रहा है जबकि विक्रेता द्वारा देय कर जमा नहीं करवाये जाने के संबंध में विक्रेता के विरूद्ध किसी प्रकार की कर जमा करवाने हेतु कोई कार्यवाही, पत्र व्यवहार आदि अपने स्तर पर नहीं किया गया, न ही इस आशय का सबूत पेश किया कि खरीद बिल Genuine है। पत्रावली पर उपलब्ध खरीद बिल जो सामान्यतः औसतन 15 से 20 टन प्रति बिल है, खरीद बिलों में कहीं पर भी परिवहन करने वाले वाहन का नंबर उल्लेखित नहीं है। वाहन परिवहनित किये जाने के संबंध में किसी भी ट्रांसपोर्ट कंपनी की बिल्टी की प्रति प्रस्तुत नहीं की गयी है। सहायक आयुक्त, वृत्त—अ, भिवाड़ी द्वारा मैसर्स बाबा नागा ट्रेडर्स की जांच में उक्त फर्म का घोषित व्यवसाय स्थल पर व्यवसाय नहीं होना पाया गया है व फर्म द्वारा 2011—12 के लिए प्रस्तुत वार्षिक विवरण पत्र वैट—10ए में अन्तर्राज्यीय कर मुक्त बिक्री करना दर्शाया गया व राज्य के भीतर कोई बिक्री नही दर्शायी गई। सहायक आयुक्त, वृत्त—सी द्वारा मैसर्स जम्बो एग्रो ऑयल्स, बासनी मण्डी, जोधपुर की जांच में फर्म मौके पर नही पायी गई तथा इस फर्म द्वारा खरीद बाबा नागा ट्रेडर्स, भिवाड़ी से करना बताया जबिक बाबा नागा

ट्रेडर्स द्वारा वर्ष 2011-12 में राज्य के भीतर कोई बिक्री दर्शायी नही गई थी। कर निर्धारण अधिकारी ने मैसर्स रामा ट्रेडिंग कंपनी जोधपुर व मैसर्स हरनारायण ओमप्रकाश जोधपुर से माल खरीदना इस आधार पर सही नही माना है क्योंकि इन्होंने तिरूपति ट्रेडर्स जोधपुर से माल खरीदना बताया है जबिक यह फर्म जोधपुर की बोगस फर्म है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कर निर्धारण अधिकारी ने जांच के उपरान्त व्यवहारी द्वारा की गई ख़रीद से संबंधित फर्में या तो बोगस पाई गई हैं या खरीद Genuine नहीं पाई गई है। इस संबंध में अपीलार्थी का यह कहना कि उन्हें खरीद बिल बोगस होने के संबंध में जांच की प्रति उपलब्ध नहीं गई है व बिना पूर्ण जांच के आई.टी.सी. रिवर्स की गई है, स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि जब जांच में फर्मे ही बोगस पाई गई हैं व खरीद Genuine नहीं पाई गई है तो अधिनियम 2003 की धारा 10 के अनुसार व्यवसायी का यह दायित्व था कि वह धारा 18(2) के अनुसार क्लेम किये गये इनपुट टैक्स को जमा होना प्रमाणित करते। कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी को समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद भी व्यवहारी द्वारा क्रय किये गये माल के संबंध में आवश्यक दस्तावेज यथा मूल लेखा पुस्तकें, स्टॉक विवरण, भुगतान के साक्ष्य, बिल-बिल्टी, ट्रांसपोर्टेशन प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जिससे अपीलार्थी को न्यायिक दृष्टांत एआईआर 1977 एससी 1627 से कोई सहायता नहीं मिलती है। अन्य न्यायिक दृष्टांत भी इस प्रकरण में लागू नहीं होते क्योंकि इस प्रकरण में व्यवहारी द्वारा क्रय किये गये माल से संबंधित फर्में या तो बोगस पाई गई हैं या खरीद Genuine नहीं पाई गई है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पूजा ट्रेडिंग कंपनी के मामलें में प्रकरण पुनः जांच के लिए रिमाण्ड किया है क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी ने कारणों का उल्लेख नहीं किया था जबकि इस प्रकरण में व्यवहारी ने कर जमा होने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया व साथ ही कर निर्धारण अधिकारी ने जांच के आधार पर फर्मे बोगस मानी हैं तथा अपने निर्णय में समस्त तथ्यों व कारणों का उल्लेख किया है, जिससे यह न्यायिक दृष्टांत भी इस प्रकरण में लागू नहीं होता।

18. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाता है।

19. निर्णय सुनाया गया।

नत्थूराम) सदस्य 2/12

(वी.श्रीनिवास) अध्यक्ष